

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14383/2025

Mujahid S/o Rahman, R/o Udaipur, Police Station Bhiwadi,
District Khairthal-Tijara, Rajasthan (At Present Confined In Sub
Jail Kishangarhbas District Alwar)

-----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.P.

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14655/2025

1. Rahman S/o Bhikkan, R/o
Udaipur, Police Station Bhiwadi,
District Khairthal-Tijara,
Rajasthan. (At Present
Confined In Sub Jail
Kishangarhbas District Alwar).
2. Parvej S/o Rahman, R/o
Udaipur, Police Station Bhiwadi,
District Khairthal-Tijara,
Rajasthan. (At Present
Confined In Sub Jail
Kishangarhbas District Alwar).

-----Petitioners

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14656/2025

1. Nasir @ Faij S/o Sube Khan,
R/o Udaipur, Police Station
Bhiwadi, District Khairthal-
Tijara, Rajasthan. (At Present
Confined In Sub Jail
Kishangarhbas District Alwar).



2.

Vasim S/o Rahman, R/o
Udaipur, Police Station Bhiwadi,
District Khairthal-Tijara,
Rajasthan. (At Present
Confined In Sub Jail
Kishangarhbas District Alwar).

-----Petitioners

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14657/2025

Nisar S/o Aajad, R/o Udaipur, Police Station Bhiwadi, District
Khairthal-Tijara, Rajasthan. (At Present Confined At Jail
Kishangarhbas (Alwar).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14658/2025

Kayyum Khan S/o Rahamat, R/o Udaipur, Police Station Bhiwadi,
District Khairthal-Tijara, Rajasthan. (At Present Confined At Jail,
Kishangarhbas (Alwar).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14659/2025

Javed Akhtar S/o Sarif Khan, R/o Udaipur, Police Station Bhiwadi,
District Khairthal-Tijara, Rajasthan. (At Present Confined At Jail
Kishangarhbas (Alwar).

-----Petitioner

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14813/2025

Tarif S/o Sube Khan, R/o Udaipur, Police Station Bhiwadi, District Khairthal, Tijara, Rajasthan. (At Present Accused Petitioner Confined In Sub Jail Kishangarh Bas)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent.

For Petitioner(s)	:	Mr. Manjeet Kumar Mr. D.K. Dixit for Mr. Aneesh Khan Mr. Deepak Kumar Meena for Mr. Azad Ahamed
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Gupta, Adl. GA Cum P.P. Mr. Ankit Yadav

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

08/12/2025

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मुजाहिद, रहमान, परवेज, नासिर उर्फ फैज, वसीम, निसार, कय्यूम खान, जावेद अख्तर एवं तारीफ की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश क्रमशः दिनांक—**29.10.2025, 31.10.2025** के विरुद्ध ये पृथक-पृथक सात जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483** बी.एन.एस.एस. उन्हें पुलिस थाना भिवाड़ी, जिला भिवाड़ी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—**465/2025**, अपराध अन्तर्गत धारा **189(2), 115(2), 126(2), 303(2), 324(4), 324(5)** भारतीय न्याय संहिता में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त सातों जमानत आवेदन पत्र एक

ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

बहस सुनी गई ।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के योग्य अधिवक्तागण का संयुक्ततः मुख्य रूप से यह निवेदन है कि प्रार्थीगण को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, वे निर्दोष हैं। प्रार्थीगण क्रमशः 23.09.2025 व 13.10.2025 से अभिरक्षा में हैं। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से भी परिवादी पक्ष के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-467/2025 पुलिस थाना-भिवाडी में दर्ज करवाई गई थी, जिसमें प्रार्थीगण नासिर व मुजाहिदीन को भी सिर में गम्भीर चोटें कारित हुई हैं, प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है, अतः प्रार्थीगण के जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाकर उन्हें जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता परिवादी व योग्य लोक अभियोजक ने प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रकरण में आहतगण जावेद एवं सोहेल के गम्भीर चोटें कारित की हैं, अतः जमानत आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया, अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी द्वारा संकलित की गई साक्ष्य का अवलोकन किया। प्रार्थीगण लम्बी अवधि से अभिरक्षा में हैं, प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, अनुसंधान के दौरान आयी साक्ष्य की प्रकृति, प्रार्थीगण की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थीगण को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः ये सभी सातों जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाते हैं तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/-रुपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000-25,000/-रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वे प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होते रहेंगे तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण—1. मुजाहिद पुत्र श्री रहमान, 2. रहमान पुत्र श्री भिक्कन, 3. परवेज पुत्र श्री रहमान, 4. नासिर उर्फ फैज पुत्र श्री सुबे खान, 5. वसीम पुत्र श्री रहमान, 6. निसार पुत्र श्री आजाद, 7. कय्यूम खान पुत्र श्री रहमत, 8. जावेद अख्तर पुत्र श्री सरीफ खान एवं 9. तारीफ पुत्र सूबे खॉ को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /72-78